Helpline **1064** | **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमंद में नगरपालिका आमेट का अधिशासी अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 मई, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा आज देर रात कार्यवाही करते हुये कृष्णगोपाल माली अधिशासी अधिकारी एवं बलवंत सिंह वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद को परिवादी से **2 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भू–रूपान्तरण के पश्चात पट्टे जारी करने के बाद जमीन का ले–आउट प्लान देने की एवज में कृष्णगोपाल माली अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद द्वारा **4 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी राजसमंद इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कृष्णगोपाल माली पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी पुलिस थाना के पास मसूदा जिला अजमेर हाल किराये का मकान आर.के.पुरम कॉलोनी, डॉ. महला की गली, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा हाल राजकीय आवास देवगढ़ जिला राजसमंद हाल अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद एवं बलवंत सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह निवासी गोवलिया मादडी, पोस्ट मुण्डोल, पुलिस थाना राजनगर, तहसील व जिला राजसमंद हाल निवासी भाटी कॉलोनी, आमेट जिला राजसमंद हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद को परिवादी से **2 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि कार्यवाही के दौरान तलाशी में आरोपी अधिशासी अधिकारी कृष्णगोपाल माली की जेब से **41,500/– रुपये** एवं उसकी निजी कार से **1 लाख रुपये** की संदिग्ध नगद राशि भी बरामद की गई है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।